नु...फारम संख्या 562

# भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 .................... से .................... तक

सन्

केस का प्रकार – T.A Misc case no. 35 /2017-18

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 02/11/17 | (see below) | |

आवेदक / आवेदिका शारदी जामुदा
पिता / पति स्व. कोराई जामुदा अ0जाति / अ0ज0जाति / अ0पि0
वर्ग / उपजाति हो चक्रधरपुर, थाना–चक्रधरपुर राजस्व थाना–चक्रधरपुर, अंचल चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम ने क्रेता बाबलू सामड
पिता– रतन सामड अ0जाति / अ0ज0जाति / अ0पि0 वर्ग / उपजाति हो के अन्तर्गत ग्राम– रोलाडीह थाना–चक्रधरपुर / राजस्व थाना– चक्रधरपुर, अंचल चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के पास जमीन बिक्री / भू–हेस्तानान्तरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए" के अतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। जमीन का विवरण है :–

| मौजा | थाना सं0 | थाना | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| बोड़ता | 515 | चक्रधरपुर | 212 | 1051 | 0'27½ |

आवेदक को रुपयों की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा 27½ डि0 का कुल कीमत 2,17,000/– रूपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए" के अन्तर्गत बिक्री करना चाहते हैं।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मन्तव्य सहित दिनांक 25/07/17 तक मांग करें।

अभिलेख दिनांक 15/07/17 को उपस्थित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 23.6.17      (हस्ताक्षर) 23.6.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर ।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर ।

| | |
|---|---|
| 26.2.18 | अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रता को भूमि क्रय–विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।<br><br>26.2.18<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट चक्रधरपुर। |
| 6.8.18 | अभिलेख उपस्थापित । विक्रेता गारदी जामुदा, पिता स्व0 दोराई जामुदा, ग्राम बोड़दा, थाना चक्रधरपुर प0 सिंहभूम ने मौजा–बोड़दा, थाना नं0–515, खाता नं0–212, प्लॉट नं0–1051, रकवा–0.27½ ए0 भूमि विक्री हेतु दिनांक 02.11.2017 को समर्पित किया गया है। भू–अर्जन कार्यालय प0 सिंहभूम चाईबासा के भू–अर्जन वाद सं0–97/2017–'18 द्वारा उक्त भूमि उपकारा चक्रधरपुर के निर्माण हेतु अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहित भूमि का टी॰ए॰मिस केस के तहत विक्रेता को उक्त भूमि विक्री हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती है।<br>अतः आवेदक के आवेदन पत्र को **अस्वीकृत** की जाती है।<br>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराएँ<br>लेखापित<br>6.8.18<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट चक्रधरपुर।<br><br>6.8.18<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट चक्रधरपुर। |